

प्रेषक,

शिप्रा दुबे,
अपर सिविल जज जू०डि०,
कोर्ट सं०- 01, कानपुर देहात।

सेवा में,

महानिबन्धक,
माननीय उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

द्वारा

जनपद न्यायाधीश,
कानपुर देहात।

विषय

न्यायिक सेवा में चयनित एल०एल०एम० डिग्रीधारक अधिकारियों को तीन अग्रिम
वेतन वृद्धि प्रदान करने के संबंध में।

महोदय,

उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश सं० -5/2016/638/II-4-2016-32(2)2015
दिनांक 22/12/2016 एवं तत्क्रम आपके द्वारा जारी पत्रांक 44/Admin(services)/2017 दिनांक
11.01.2017 के द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य के न्यायिक सेवा में चयनित एवं चयन के समय ही विधि में
स्नातकोत्तर उपाधिधारक अभ्यर्थियों को 03 अग्रिम वेतन वृद्धियां प्रदान की गयी है। उक्त के अनुक्रम
में सूचित करना है कि प्रार्थी भी चयन के समय विधि में स्नातकोत्तर उपाधिधारक है, जिससे संबंधित
अभिलेख प्रार्थी के सेवा अभिलेखों में उपलब्ध है, जो कि प्रार्थी ने सेवा में प्रवेश करते समय प्रस्तुत
किये थे।

उपरोक्त शासनादेश के अनुक्रम में माननीय महोदय से निवेदन है कि प्रार्थी को प्राप्त
होने वाले उपरोक्त लाभ प्रदान किये जाने का आदेश पारित करने की कृपा करें।

सादर।

दिनांक- 06.03.2020

भवदीया

Shikha
6/3/2020


(शिप्रा दुबे)

अपर सिविल जज जू०डि०,
कोर्ट सं०- 01, कानपुर देहात।

संलग्नक:- विधि स्नातकोत्तर अंक तालिका
विधि स्नातकोत्तर उपाधि

Office of the District Judge, Ramabai Nagar (Kanpur Dehat), Judgeship
No. 367/20 Dated: 06-03-2020.
Forwarded to महानिबन्धक, माननीय उच्च
न्यायालय, इलाहाबाद

For necessary action.


District Judge,
Ramabai Nagar,
(Kanpur Dehat)